भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 4 (2012 श्रृंखला)

विषय: सिंगल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मौजूदा नीति में संशोधन।

1.0 वर्तमान स्थिति

1.1 सिंगल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार से संबंधित 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी 'समेकित एफडीआई नीति-2012 का परिपत्र 1' का पैरा 6.2.16.4 को वर्तमान में नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाता है:

6.2.16.4	सिंगल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100%	सरकारी अनुमोदन मार्ग
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना, भारत से सामानों की बढ़ती खरीद को प्रोत्साहित करना और वैश्विक डिज़ाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंध व्यवहारों तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है । (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा: (क) बेचा जाने वाला उत्पाद केवल "सिंगल ब्रांड" का होना चाहिए । (ख) उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय रुप से उसी ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाना चाहिए अर्थात उत्पाद को भारत से भिन्न एक या अधिक देशों में समान ब्रांड के अंतर्गत ही बेचा जाना चाहिए । (ग) " सिंगल ब्रांड" उत्पाद-खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जो विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड किए गए हैं । (घ) विदेशी निवेशक ब्रांड का मालिक होना चाहिए । (ड.) 51 प्रतशित से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध में, बेचे जाने वाले उत्पादों के मूल्य की कम से कम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय 'लघु और उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों से करनी होगी। 'लघु उद्योगों'		

	की परिभाषा होगी कि ऐसे उद्योग जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक नहीं है। इस मूल्यांकन का तात्पर्य अवमूल्यन के संबंध में प्रावधान किए बिना स्थापना के समय के मूल्य से है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय, यह मूल्यांकन बढ़ता है तो उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योगों' के रूप में पात्र नहीं होगा। इस शर्त का अनुपालन कंपनी द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें बाद में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उन विधिवत प्रमाणित लेखाओं से जांचा जा सकता है, जिनका रख-रखाव कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। (3) "सिंगल ब्रांड" उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता (एसआईए) सचिवालय को किया जाएगा। आवेदन में उत्पाद/उत्पाद श्रेणी का विशेष रुप से उल्लेख होगा जो "सिंगल ब्रांड" के अंतर्गत बेची जानी प्रस्तावित हैं। उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में जिसे "सिंगल ब्रांड" के अंतर्गत बेचा जाना है किसी परिवर्धन हेतु सरकार का नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (4) आवेदनों पर सरकारी अनुमोदन हेतु एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बेचने के लिए प्रस्तावित उत्पाद अधिसूचित किए गए दिशानिर्देशों को संतुष्ट करते हैं, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में विचार किया जाएगा ।

2.0 संशोधित स्थिति

2.1 भारत सरकार ने इस संबंध में स्थिति की समीक्षा की है तथा मौजूदा नीति के पैरा 6.2.16.4 (2) (घ) एवं 6.2.16.4 (2) (ड़.) को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3.0 पैरा 6.2.16.4 के लिए संशोधन

3.1 तद्नुसार 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' का पैरा 6.2.16.4 को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है:

6.2.16.4	सिंगल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100%	सरकारी अनुमोदन मार्ग
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और		